आदेश पत्रक
न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : आजमगढ़, जनपद : मऊ, तहसील : घोसी
वाद संख्या :– 0039/2021
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :– T202115520200039
बाबा जगदेव दास माँ अमरावती शिवपूजन महाविद्यालय बनाम उ0 प्र0 सरकार
अन्तर्गत धारा :– 80, अधिनियम :– उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी बाबा जगदेव दास माँ अमरावती शिवपूजन महाविद्यालय द्वारा प्रबन्धक रामसोच निवासी ग्राम व पोस्ट–पकड़ी बुजुर्ग, परगना व तहसील–घोसी, जनपद–मऊ द्वारा ग्राम–ओजीपुर के खाता संख्या–18 के गाटा संख्या–13 रकबा–0.815 हे0 के सम्बन्ध में वाद दाखिल किया गया जिसमें क़हा गया कि वादी आराजी उपरोक्त का भूमिधर काबिज दाखिल बैनामा जिसपर वादी बतौर भूमिधर काबिज दाखिल है तथा इस भूमि को वादी ने पैतृक खतौनी हासिल किया है वादी वादग्रस्त भूमि को आबादी घोषित करना चाहता है। जो कि नियमानुसार हम बाबा जगदेव दास माँ अमरावती शिवपूजन महाविद्यालय कायम है। अन्त में कहा गया कि वादग्रस्त भूमि को अकृषिक घोषित किया जाय।

प्रस्तुत प्रकरण में नायब तहसीलदार से जाँच आख्या प्राप्त की गयी उनके द्वारा दिनांक 07.02.2021 रिपोर्ट दी गयी कि खाता संख्या–18 के गाटा संख्या–13 रकबा–0.815 हे0 को अकृषिक घोषित करने हेतु संस्तुति की गयी है।

मैंने वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया नायब तहसीलदार की आख्या से स्पष्ट है कि खाता संख्या–18 के गाटा संख्या–13 रकबा–0.815 हे0 में मौके पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में अकृषिक भूमि घोषित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत हो रहा है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि ग्राम–ओजीपुर के खाता संख्या–18 के गाटा संख्या–13 रकबा–0.815 हे0 भूमि अकृषिक घोषित करते हुए लगान मुक्त किया जाता है आदेश की एक प्रति उप निबन्धक घोसी को नियमानुसार पंजीयन हेतु भेजी जाय। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक : 12-3-21

(सुरेश कुमार)
उपजिलाधिकारी
घोसी–मऊ

कार्यालय, उप–जिलाधिकारी, घोसी–मऊ
उत्तर प्रदेश

पत्रांक 623/28 दिनांक 20-5-21

बाबा जगदेव दास शिक्षण सेवा संस्थान
ग्राम–पकड़ी खुर्द (ओजीपुर), पोस्ट–पकड़ी बुजुर्ग, जनपद–मऊ
द्वारा प्रबन्धक रामसोच पुत्र स्व0 शिवपूजन
ग्राम व पोस्ट–पकड़ी बुजुर्ग
परगना व तहसील–घोसी, जनपद–मऊ (उ0प्र0)।

निर्णय

प्रस्तुत बाद रामसोच प्रबन्धक के वाद पत्र पर तहसीलदार घोसी से मांगी गयी जाँच आख्या दिनांक 20–05–2021 के आधार पर संचालित किया गया। उन्होनें अपने आख्या में यह उल्लेख किया है कि ग्राम–ओजीपुर, परगना व तहसील–घोसी, जनपद–मऊ के गाटा संख्या 13 रकबा 0.9540 हे0 में से 0.815 हे0 पर विद्यालय भवन बनकर काबिज है एवं इस भूमि के सम्पूर्ण हक एवं हिस्से पर बाबा जगदेव दास कालेज ऑफ फार्मेसी, पकड़ी खुर्द (ओजीपुर), घोसी, मऊ का स्वामित्व है।

वादी को सुना व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि में शिक्षण संस्थान का पक्का भवन बना हैं तथा अन्य निर्माण हेतु मौके पर गिट्टी, बालू आदि गिरा हुआ है। आख्या धारा 80 के तहत नियमों के प्रारूप पर नजरी नक्शें के साथ दी गई है। मैं उक्त आख्या से सहमत हूँ। जो स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

तहसीलदार घोसी की आख्या दिनांक 20–05–2021 स्वीकार की जाती है। ग्राम–ओजीपुर, परगना व तहसील–घोसी, जनपद–मऊ में स्थित गाटा संख्या 13 रकबा 0.815 हे0 को शिक्षण संस्थान के भवन प्रयोज्य में लाया जा रहा है। आदेश कि प्रति तहसीलदार–घोसी/उपनिबन्धक–घोसी, जनपद–मऊ को आवश्यक कार्य हेतु भेजा जायें। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

(सुरेश कुमार)
उपजिलाधिकारी
घोसी–मऊ (उ0प्र0)